

Annexure-III

आय-कर नियम, 1962

प्रारूप सं.60

[नियम 114ख का दूसरा प्रावधान देखिए]

उस व्यक्ति या व्यक्ति(जो कंपनी या फर्म नहीं हैं) द्वारा फाइल किए जाने वाले का प्रारूप, जिसके पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है जो नियम 114ख में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है

1	प्रथम नाम				मध्य नाम				उपनाम			
2	घोषणाकर्ता की जन्म-तिथि / निगमन की तारीख											
3	पिता का नाम(व्यष्टियों के लिए)											
4	फ्लैट सं. तल सं.											
5	परिसर का नाम/ ब्लाक का नाम एवं सं.											
6	रोड / गली / लेन											
7	क्षेत्र / अवस्थिति											
8	नगर/जिला/राज्य											
9	पिन कोड											
10	टेलीफोन सं. (एसटीडी कोड सहित)											
11	मॉबाइल संख्या											
12	लेनदेन की राशि (₹ में)											
13	लेनदेन की तारीख											
14	संयुक्त नाम से लेनदेन होने की दशा में, लेनदेन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या /											
15	लेनदेन का प्रकार	नगद	चेक	कार्ड	ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	ऑनलाइन अंतरण	अन्य					
16	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :											
17	यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन किया है और अभी तक नहीं बना है तो आवेदन की तारीख और अभिस्वीकृति संख्या : तारीख :											
18	यदि स्थायी लेखा संख्या आवेदन नहीं किया है तो जिस वित्तीय वर्ष में लेनदेन किया गया है उसकी कुल अनुमानित आय(जिसमें आय-करअधिनियम,1961 की धारा 64 के अंतर्गत पति/पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) भरें। (a) कृषि आय (₹.) _____ (ख) कृषि से अतिरिक्त आय.) _____											
19	स्तंभ 1 में वर्णित पहचान के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के व्यौर (पृष्ठ भाग के अनुदेश का संदर्भ लें)				दस्तावेज कोड	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता					
20	स्तंभ 4 से 13 में वर्णित पते के समर्थन में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों के व्यौर (पृष्ठ भाग के अनुदेश का संदर्भ लें)				दस्तावेज कोड	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता					

सत्यापन

मैं / हम, _____ यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे और यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास स्थायी लेखा संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम,1961 की धारा 64 के अंतर्गत पति/ पत्नी या अवयस्क संतान की आय भी सम्मिलित है) उस वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त लेनदेन किया गया है आय-कर अधिनियम,1961 के प्रावधानों के अनुसार अभिकलित की गई है जो अधिकतम कर प्रभार्य आय से कम है।

आज तारीख _____ 20 _____ को सत्यापित किया गया।

स्थान :

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को खुद की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस प्रारूप में दी गई जानकारी पूर्णरूप से सही है, सत्य है और संपूर्ण है।

घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय-कर अधिनियम,1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध होने पर दंडनीय होगा,

(i) एक स्थिति जिसमें अपवंचन के लिए कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक होता है कठोर कारावास से जो छः मास से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(ii) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना सहित।

Income-tax Rules, 1962

Annexure-III

FORM NO.60

[See second proviso to rule 114B]

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1	First Name		Middle Name		Surname	
2	Date of Birth / Incorporation of declarant					
3	Father's Name (in case of individual)					
4	Flat No./Floor No.					
5	Name of premises / Block Name & No.					
6	Road / Street / Lane					
7	Area / Locality					
8	Town/District/State					
9	Pin code					
10	Telephone Number (with STD code)					
11	Mobile Number					
12	Amount of Transaction (Rs.)					
13	Date of transaction					
14	In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction					
15	Mode of transaction	Cash	Cheque	Card	Draft/Banker's Cheque	Online transfer
16	Aadhaar Number issued by UIDAI (if available) :					
17	If applied for PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number : Date :					
18	If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child etc., as per section 64 of Income-tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held (a) Agricultural income (Rs.) (b) Other than Agr Income (Rs.)					
19	Details of document being produced in support of identity in Column 1 (Refer Instruction overleaf)			Document code	Document identification number	Name and address of the authority issuing the document
20	Details of document being produced in support of address in Column 4 to 13 (Refer Instruction overleaf)			Document code	Document identification number	Name and address of the authority issuing the document

Verification

I, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my / our estimated total income (including income of spouse, minor child etc., as per section 64 of Income Tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today the _____ day of _____ 20 _____

Place :

(Signature of declarant)

Note: Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable,
(i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
(ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.

2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति वहां घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां मद 22ख में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम उस रकम से अधिक हो जाती है जो कर के प्रभार्य नहीं है सिवाय तब जब स्थायी लेखा संख्या हेतु आवेदन किया गया हो और स्तंभ 21 सम्यक रूप से भरा गया हो ।

अनुदेश

(1) पहचान और पते के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं (यदि स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन दिया है और मद 20 भरा है तो आवश्यक नहीं है):-

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	दस्तावेज कोड	पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्यक्तिगत और एचयूएफ के लिए			
	1 आधार कार्ड	01	हां	हां
	2 बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	02	हां	हां
	3 निर्वाचक पहचान पत्र	03	हां	हां
	4 राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	04	हां	हां
	5 ड्राइविंग लाइसेंस	05	हां	हां
	6 पासपोर्ट	06	हां	हां
	7 पेंशनर फोटो कार्ड	07	हां	हां
	8 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) जॉब कार्ड	08	हां	हां
	9 जाति या अधिवासी प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हां	हां
	10 प्ररूप 49क में उल्लिखित उपबंध क के अनुसार संसद सदस्य या विधायक या नगर निगम के पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	10	हां	हां
	11 प्ररूप 49क में उल्लिखित उपबंध ख के अनुसार नियोजक से प्रमाणपत्र	11	हां	हां
	12 किसान पासबुक जिसमें फोटो हो	12	हां	नहीं
	13 हथियार लाइसेंस	13	हां	नहीं
	14 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/पूर्व सैनिक अभिदाय स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	हां	नहीं
	15 सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हां	नहीं
	16 बिजली बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	16	नहीं	हां
	17 लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	17	नहीं	हां
	18 पानी का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	18	नहीं	हां
	19 गैस ग्राहक कार्ड/बुक या गैसपाइप का बिल (तीन माह से पुराना नहीं)	19	नहीं	हां
	20 बैंक खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	20	नहीं	हां
	21 क्रेडिट कार्ड विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	21	नहीं	हां
	22 डिपॉजिटरी खाता विवरण (तीन माह से पुराना नहीं)	22	नहीं	हां
	23 संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हां
	24 सरकार से प्राप्त आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	हां
	25 पति/पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हां
	26 संपत्ति कर भुगतान की रसीद (एक साल से पुराना नहीं)	26	नहीं	हां
ख	व्यक्तियों के संगम (न्यास)			
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की प्रति	27	हां	हां
ग	व्यक्तियों के संगम(न्यास के अतिरिक्त) या व्यष्टियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति			
	समझौते की प्रति या चैरिटी आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की प्रति या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से व्यक्ति का स्थापना पहचान और पते का कोई अन्य दस्तावेज	28	हां	हां

- (2) किसी अवयस्क के नाम पर लेनदेन होने की दशा में ऐसे अवयस्क के माता पिता या अभिभावक का उपरोक्त में वर्णित पहचान और पते का कोई भी प्रमाण उस अवयस्क का पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणा को माता पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (3) हिंदु अविभाजित परिवार के लिए हिंदु अविभाजित परिवार के कर्ता के नाम पर दस्तावेज अपेक्षित होगा।
- (4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर लेनदेन होने की दशा में सभी व्यक्तियों की कुल संख्या क्रम संख्यांक 14 में वर्णित की जाएगी और लेनदेन की कुल रकम क्रम संख्या 12 में भरी जाएगी।

स्तंभ 22ख में अनुमानित आय अधिकतम कर प्रभार्य आय से अधिक होने पर व्यक्ति को स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन देना होगा, मद 21 भरना होगा और आवेदन देने का प्रमाण देना होगा।

2. The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 21 is duly filled.

Instruction:

- (1) Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 20 is filled):-

Sl.	Nature of Documents	Document Code	Proof of Identity	Proof of Address
A	For Individuals and HUF			
1	AADHAR card	01	Yes	Yes
2	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person	02	Yes	Yes
3	Elector's photo identity card	03	Yes	Yes
4	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person	04	Yes	Yes
5	Driving License	05	Yes	Yes
6	Passport	06	Yes	Yes
7	Pensioner Photo card	07	Yes	Yes
8	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job Card	08	Yes	Yes
9	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person	09	Yes	Yes
10	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A	10	Yes	Yes
11	Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form 49A	11	Yes	Yes
12	Kisan passbook bearing photo	12	Yes	No
13	Arm's license	13	Yes	No
14	Central Government Health Scheme/ Ex -Service men contributory Health Scheme	14	Yes	No
15	Photo identity card issued by the government/Public Sector Undertaking	15	Yes	No
16	Electricity bill (Not more than 3 months old)	16	No	Yes
17	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)	17	No	Yes
18	Water bill (Not more than 3 months old)	18	No	Yes
19	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3 months old)	19	No	Yes
20	Bank Account Statement (Not more than 3 months old)	20	No	Yes
21	Credit Card Statement (Not more than 3 months old)	21	No	Yes
22	Depository Account Statement (Not more than 3 months old)	22	No	Yes
23	Property registration document	23	No	Yes
24	Allotment letter of accommodation from Government	24	No	Yes
25	Passport of spouse bearing name of the person	25	No	Yes
26	Property tax payment receipt (Not more than one year old)	26	No	Yes
B	For Association of persons (Trusts)			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner	27	Yes	Yes
C	For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person)			
	Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity commissioner or Registrar of Cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person.	28	Yes	Yes

- (2) In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above-mentioned documents as proof of Identity and Address of either of the parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian.

- (3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.

- (4) In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 14 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 12.

In case the estimated total income in column 22b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 21 and furnish proof of submission of application.